न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एम. एल. चौहान, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 16/2019 (उदयपुर डिक्री)

भंवरसिंह पिता श्री हमेरसिंह राजपूत, निवासी हरियाव, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती रूपकुंवर पिता श्री हमेरसिंह राजपूत, निवासी हरियाव, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
2. अमरसिंह पिता श्री शिवसिंह राजपूत, निवासी गुपडी, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (मृतक) के बजाय :–

2/1. रतनकुंवर पत्नी स्वर्गीय अमरसिंह राजपूत, निवासी गुपडी, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

2/2. रूपसिंह पिता स्वर्गीय अमरसिंह राजपूत, निवासी गुपडी, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

2/3. अर्जुनसिंह पिता स्वर्गीय अमरसिंह राजपूत, निवासी गुपडी, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

2/4. गुलाबकुंवर पुत्री स्वर्गीय अमरसिंह पत्नी गोपालसिंह राजपूत, निवासी हरियाव, पोस्ट सिसवी, वाया कुराबड़, जिला उदयपुर (राज.)

2/5. मोहनकुंवर पुत्री स्वर्गीय अमरसिंह पत्नी सोहनसिंह राजपूत, निवासी मजावडा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

3. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार/उपपंजीयक अधिकारी वल्लभनगर, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
4. श्यामलाल पिता श्री मोतीलाल हीरावत ब्राहमण, निवासी खरसाण, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
5. मोहन पिता श्री सवा अहीर, निवासी मंगलवाड़, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़
6. बाबुलाल पिता श्री वेणीराम पालीवाल ब्राहमण, निवासी बगडौला, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
7. श्रीमती चम्पा पत्नी श्री बाबुलाल पालीवाल ब्राहमण, निवासी बगडौला, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
8. श्रीमती सुशीला पत्नी श्री श्यामलाल विजयवर्गीय, निवासी हिरणमगरी, प्रभातनगर, उदयपुर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L. Chouhan
Date: 2021.07.08 12:32:02 IST
Reason: SelfAttested

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा–223 राजस्थान
काश्त. अधि.–1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर
दिनांक 08.06.2018, प्र.सं. 58/2016

———/———

<u>उपस्थित (वक्तबहस)</u> 1– श्री विजयकुमार ओस्तवाल अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री मनीष शर्मा अभिभाषक रेस्पोन्डेन्टगण
3– श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक

———::———

<u>निर्णय</u> **<u>दिनांक 23–03–2021</u>**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम हरियाव में खाता संख्या 78 की आराजी नंबर 36 रकबा 41 बीघा भूमि स्थित है, जिसमें वादी व प्रतिवादी संख्या 1 का 2/3 हिस्वा एवं प्रतिवादी संख्या 2 का 1/3 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। पक्षकारान का सजरा वाद पत्र की कलम संख्या अनुसार है। उक्त भूमि पर कमी बेसी रकबे पर खातेदार काबिज होकर काश्त कर रहे हैं, किन्तु विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। अतः विवादित भूमि का मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जाकर स्थायी निषेधाज्ञा दिलायी जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण राजस्व लोक अदालत में रखकर अपने निर्णय दिनांक 08–06–2018 से वादी का वाद स्वीकार कर प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर वादी/अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 29–03–2019 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोन्डेन्ट की ओर से वकील श्री मनीष शर्मा उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 औपचारिक पक्षकार की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मयाद का आवेदन प्रस्तुत किया गया एवं निवेदन किया कि उन्हें अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की प्रथम बार जानकारी दिनांक 17–03–2019 को हुई [illegible] अविलम्ब अपील प्रस्तुत कर दी। अतः मयाद कण्डोन फरमायी [illegible] पत्र भी प्रस्तुत किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.07.08 12:32:02 IST
Reason: SelfAttested

हमने उक्त आवेदन पर मनन किया। व्यक्त कारणों, अखण्डित शपथ पत्र एवं न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

दौराने कार्यवाही पक्षकारान की ओर से राजीनामा प्रस्तुत कर प्रस्तुत राजीनामें अनुसार अपील स्वीकार करने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया एवं प्रस्तुत राजीनामें का अध्ययन किया। पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामें पर सभी पक्षकारान के हस्ताक्षर होकर उसकी पहचान उनके अभिभाषकगण द्वारा की गयी है। तद्नुसार प्रस्तुत राजीनामा अनुसार प्रकरण का निस्तारण किया जाना हम उचित समझते हैं।

अतः प्रस्तुत राजीमाने अनुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 08–06–2018 अपास्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रस्तुत राजीनामें पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर विधिवत निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 21–05–2021 को उपस्थित रहें। मूल राजीनामा प्रमाणित प्रति न्यायालय हाजा में रखते हुए अधिनस्थ न्यायालय को भिजवायी जा रही है।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। निर्णय आज दिनांक 23–03–2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.07.08 12:32:02 IST
Reason: SelfAttested